याचिकाकर्ता के मामले में सर्कल हेड ड्राफ्ट्समैन के साथ संबंधित विनियमन के पढ़ने से समर्थित नहीं है। इसके अलावा, फिक्शन को डीमिंग करके सभी प्रचारों को प्रत्यक्ष भर्ती के रूप में माना गया है और उनके लिए डिग्री/**a.m.i.e** के पास कोई आवश्यकता नहीं है। योग्यता। परिपत्र का कोई अन्य निर्माण पूर्ववर्ती पैरा में संदर्भित परिपत्र के खंड **2** को ओटियोस और भ्रम के रूप में प्रस्तुत करेगा। हम इस विचार पर विचार कर रहे हैं कि उच्च स्तर के वेतन का लाभ **B.B.M.B** द्वारा सीमित नहीं किया जा सकता है। उन इंजीनियरों के लिए जो **P.S.E.B** से आए हैं। केवल। लाभ **B.B.M.B** में काम करने वाले सभी इंजीनियरों के लिए हैं। जो **24** मई, **1990** (सुप्रा) दिनांकित परिपत्र पत्र द्वारा कवर किए गए हैं, चाहे वे **P.S.E.B** से या किसी अन्य संगठन से आए हों। **B.B.M.B** ने **24** मई, **1990** को उनके साथ काम करने वाले इंजीनियरों के आवेदन के लिए गोलाकार दिनांकित किया है। याचिकाकर्ता को **A.D.E./S.D.O** के रूप में पदोन्नत किया गया था। **25** अप्रैल, **1971** को और **1** मई, **1979** से इस तरह के प्रभाव के रूप में नियमित किया गया था। उन्होंने वर्ष **1987** में अपने सुपरन्यूएशन यानी **30** नवंबर, **1990** की तारीख से बहुत पहले **16** साल की सेवा पूरी की। याचिकाकर्ता को देखने का एक और कारण **24** मई, **1990** को परिपत्र दिनांकित के लाभ का हकदार है, यह है कि ये अधिकारियों के काम में दक्षता लाने के लिए ठहराव के टूटने के लिए किए गए लाभकारी प्रावधान हैं। याचिकाकर्ता **30** नवंबर, **1990** को सेवानिवृत्त हो गया है, सेवा में किसी भी कर्मचारी के कारण कोई पूर्वाग्रह होने की संभावना नहीं है।

(१३) पूर्वगामी कारणों के लिए, इस अपील को खारिज कर दिया गया है। हम सीखे गए एकल न्यायाधीश के साथ सहमति देते हैं। **26** अगस्त, **1999** को दिनांकित आदेश को बनाए रखते हुए, अपीलकर्ता ने इस आदेश की प्रतिलिपि प्राप्त होने की तारीख से तीन महीने की अवधि के भीतर सीखा एकल न्यायाधीश द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करने का निर्देश दिया।

R.N.R.

एम.एल. सिंघल, **जे शेर सिंह**, -**पुटिशनर**

बनाम

हरियाणा और अन्य राज्य, -**वाद**

Crl **एम। नंबर** *40255/***एम** *1999*

13 **सितंबर**, *2001*

आपराधिक प्रक्रिया संहिता, *1973-S.433-A-HARYANA* **सरकार के निर्देश** *4* **फरवरी**, *1993* **को दिनांकित (***17* **जुलाई**, *1997* **को संशोधित) - पारा** *2 (a) & (b)* **एक महिला का अभियुक्त**

1993 के निर्देशों के जीवन-पार 2 (बी) के लिए दोषी ठहराए गए और सजा सुनाई गई है, जो कि वास्तविक सजा-सरकार के 10 साल के पूरा होने के बाद समय से पहले एक जीवन दोषी ठहराता है। (ए) ऐसे मामलों की वास्तविक सजा के 14 वर्षों के पूरा होने के बाद ही क्या संशोधित निर्देश भेदभावपूर्ण- आयोजित की गई है, किसी भी जीवन के दोषी के पास कोई निहित अधिकार नहीं है, जो कि जीवन की सजा का अधिकार नहीं है, पूरे जीवन के लिए एक सजा है।

आयोजित, कि जब पूर्व-परिपक्व रिलीज के लिए याचिकाकर्ता का मामला विचार के लिए परिपक्व हो गया, तो 1997 के निर्देश लागू हो गए थे। 1997 के अनुसार एक महिला की हत्या को एक महिला की हत्या की तुलना में अधिक गंभीरता के साथ देखा जाना चाहिए और एक महिला की हत्या के दोषी व्यक्ति और जीवन के लिए कारावास की सजा सुनाई गई अंडरट्रियल-अवधि/निरोध और कम से कम 6 साल के कमीशन के बाद वाक्य। 17 जुलाई, 1997 को संशोधित के रूप में 1993 के निर्देशों के पैरा 2 (ए) में एक महिला की हत्या को शामिल करने में तर्क है। महिला को हमारे समाज में वंदना के साथ देखा जाता है। उसे हमारे समाज में 'लक्ष्मी' के रूप में देखा जाता है। उसे एक कमजोर प्राणी के रूप में देखा जाता है जिसे हमेशा पुरुष सुरक्षा की आवश्यकता होती है। एक महिला की हत्या की सलाह दी गई थी, जिसमें हमारे समाज की सांस्कृतिक विरासत को देखते हुए पैरा 2 (ए) में शामिल किया गया था। इस प्रकार, 17 जुलाई, 1997 को संशोधित 4 फरवरी, 1993 को दिनांकित निर्देश काफी संवैधानिक हैं। ये तब तक किसी भी भेदभाव का परिचय नहीं देते हैं, जहां तक एक आदमी की हत्या एक महिला की हत्या का संबंध है क्योंकि एक महिला की हत्या को एक पुरुष की हत्या के लिए अलग-अलग तरह से देखा जाना चाहिए।
(पारस 11, 14 और 15)

याचिकाकर्ता के लिए पृथ्वी राज, अधिवक्ता
श्री संजीव शुकंद ए.ए.जी. हरियाणा, प्रतिवादी के लिए।

निर्णय

मंचित सिंघल, जे

(1) इस आपराधिक विविधता के माध्यम से, भारत के संविधान के 226/227 लेखों के साथ पढ़ी गई आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 482

के तहत दायर याचिका। शेर सिंह-याचिकाकर्ता ने जेल से अपने समय से पहले रिहाई के लिए प्रार्थना की है।

शेर सिंह वी. हरियाणा राज्य और अन्य

433

(एम.एल. सिंहल, जे।)

याचिका ऐसा उन पर आरोप है कि उन्हें दोषी ठहराया गया था और एक महिला की हत्या करने के लिए जीवन के लिए कारावास की सजा सुनाई गई थी। 19 सितंबर, 1988 को पुलिस स्टेशन, मोहिंदेरगढ़ में धारा 302 आईपीसी के तहत पंजीकृत 19 सितंबर, 1988 को सेशन जज, नरनुल द्वारा । उन्होंने 11 साल, 2 महीने की वास्तविक सजा सुनाई है और उन्होंने 4 साल और 8 महीने के कमीशन अर्जित किए हैं। जेल में उनका आचरण अच्छा रहा है। याचिकाकर्ता ने आपराधिक विविधता दर्ज की, 1999 के 1999 के याचिका संख्या 11291-मीटर ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 226/227 के तहत धारा 482 CR.P.C के साथ पढ़ा। उनकी समय से पहले रिहाई के लिए और उक्त आपराधिक विविधता, याचिका में इस अदालत के निर्देश के अनुपालन में, उनके समय से पहले रिहाई के लिए याचिकाकर्ता के मामले पर विचार किया गया था और यह आदेश दिया गया था कि याचिकाकर्ता के समय से पहले जारी होने के मामले पर विचार किया जाएगा जब वह माना जाएगा। 14 साल के वास्तविक वाक्य और 20 साल की कुल सजा को पूरा करता है, जिसमें कमीशन शामिल है और यह माना जाता है कि याचिकाकर्ता का मामला हरियाणा सरकार के निर्देशों के लिए पारा 2 (ए) में रहता है, जो जीवन के दोषियों की समय से पहले रिहाई के लिए 4 फरवरी, 1993 को 1997 में संशोधित किया गया था। हरियाणा की सरकार ने ऑर्डर एनेक्स्योर पी -1 को पारित किया, जिससे यह आयोजित किया गया कि समय से पहले रिहाई के लिए उनका मामला निर्देशों के पैरा 2 (ए) द्वारा संचालित किया गया है, दिनांक 4 फरवरी, 1993 को 1997 में संशोधित किया गया था और वह समय से पहले रिलीज के रूप में विचार होगा और जब वह 14 साल का वास्तविक वाक्य पूरा करता है, जिसमें अंडरट्रियल अवधि और 20 साल की कुल सजा शामिल है, जिसमें कमीशन, माइनस पैरोल अवधि शामिल है। यह आरोप लगाया गया है कि 1999 के आपराधिक विविधता, याचिका संख्या 11291-एम वास्तव में बंदी कॉर्पस याचिका की प्रकृति में एक रिट थी। डेलल राम के पुत्र पुत्र नामक एक साथी कैदी, जो एक ही जेल में सीमित था, को 4 फरवरी, 1993 को 11 अक्टूबर, 1993 को सरकारी निर्देशों के पैरा 2 (बी) के तहत समय से पहले रिहा करने का आदेश दिया गया था, जिसे हत्या के लिए भी दोषी ठहराया गया था एक महिला और समय से पहले रिहाई के लिए उसका मामला 22 अप्रैल, 1999 को होने वाला था,

जबकि याचिकाकर्ता का मामला 4 फरवरी, 1999 को समय से पहले रिलीज के लिए होने वाला था। न केवल सत्देव, कई अन्य दोषियों ने, जिन्होंने अपनी समय से पहले रिहाई के लिए इस अदालत में याचिकाएं दायर की थीं, उन्हें 4 फरवरी, 1993 को दिनांकित निर्देशों के कारण समय से पहले रिलीज होने का हक कैदी के मामले को उनकी समय से पहले रिहाई के लिए शासन करेगा; "भारत का। इससे पहले कि कोई भी निर्णय माननीय सर्वोच्च द्वारा लिया जा सके ।

---

(२) हरियाणा राज्य ने माननीय सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर किया अदालत, हरियाणा राज्य ने माना कि निर्देश दिनांकित 4 वें

फरवरी, **1993** उनके मामलों पर लागू होगा। माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित **26** फरवरी, **1999** को दिनांकित आदेश एनेक्स्योर पी -**2** है। एनेक्स्योर पी -**2** में उल्लिखित प्रिसेंटर्स को इस प्रकार हरियाणा सरकार द्वारा **1997** की मनमानी नीति के चंगुल से खुद को बचाने के लिए बैक डोर पास-पोर्ट दिया गया था जो तर्कसंगत मानदंडों पर आधारित नहीं है। यह आरोप लगाया जाता है कि सरकार को अपने व्यवहार में भेदभावपूर्ण नहीं होना चाहिए। यह चयनात्मक नहीं होना चाहिए जब यह अपने लार्गेसी को वितरित कर रहा है।

(३) आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा ४३३-ए जो जीवन के दोषी के लिए जेल के अंदर १४ साल की अवधि के लिए गिरती है, अनुच्छेद १६१ के तहत संवैधानिक प्रावधान के रास्ते में नहीं आती है। **1)** यह आयोजित किया गया था कि जीवन के दोषियों की समय से पहले रिहाई के लिए अनुच्छेद **161** के तहत शक्तियों को एक राज्य की सरकार द्वारा सही अर्थों में प्रयोग किया जाएगा, क्योंकि राज्यपाल एक हस्ताक्षरकर्ता प्रमुख हैं। यह भी आयोजित किया गया था कि इस तरह की नीति को समान रूप से और राजनीतिक प्रतिशोध के बिना लागू किया जाएगा।

(४) उस समय जब राज्य सरकार ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष प्रतिबद्धता की थी, १ ९९ ३, १ ९९ (और १ ९९ (की नीतियां लागू थीं। इस प्रकार, राज्य की इस कार्रवाई से, **1997** और **1998** की नीतियां निरर्थक हो गईं क्योंकि राज्य ने अपने नागरिकों के प्रति एक नैतिक कर्तव्य का बकाया था, जो लोगों को समान रूप से स्थित दूसरों से भेदभाव नहीं करते थे। यह आरोप लगाया गया है कि वह **1993** के निर्देशों को समय से पहले रिहाई के मामले में पारा **2** (बी) द्वारा शासित होने का हकदार है। वह उप -संशोधित निर्देशों द्वारा शासित नहीं है। **26** फरवरी, **1999** के बाद उसे रोककर उसके साथ एक निरंतरता गलत किया जा रहा है, जब राज्य सरकार ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष प्रतिबद्धता बनाई थी कि **4** फरवरी, **1993** की नीति उत्तरदाताओं के मामलों पर लागू होगी जो उत्तरदाता थे। इन अपीलों में।

(५) हरियाणा के प्रतिवादी-राज्य ने इस प्रार्थना से आग्रह किया कि **31** मई, **1999** को सीआरएल में इस अदालत द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन में। विविध। **1999** के नंबर **11291-**मी।, उनके मामले पर विचार किया गया था, लेकिन वह **4** फरवरी, **1993** के निर्देशों के तहत समय से पहले रिलीज़ होने के लिए योग्य नहीं था, जैसा कि वर्ष, **1997** में संशोधित किया गया था, क्योंकि **17** जुलाई, **1997** को निर्देशों के तहत "एक महिला की हत्या" एक महिला की हत्या "पैरा **2** (बी) के अंतर्गत आता है और ऐसे मामलों को **14** साल के वास्तविक वाक्य के पूरा होने के बाद और कम से कम **6** साल की कमी के बाद माना जा सकता है। यह याचिका को

(1) AIR 1980 SC 2147

इस स्कोर पर खारिज कर दिया जाए। याचिकाकर्ता के मामले को सही तरीके से खारिज कर दिया गया था। दोषी सत्देव को समय से पहले आपराधिक विविधता में पारित इस अदालत के आदेश के अनुपालन में रिहा कर दिया गया था। **1998** की याचिका संख्या **10607**-मी।

(6) कमीशन को छोड़कर **14** साल की वास्तविक अवधि पर जाएं। समय से पहले रिहाई के लिए उनका मामला **4** फरवरी, **1993** को दिनांकित निर्देशों के अनुसार तय किया गया था, जैसा कि इस अदालत द्वारा आपराधिक विविधता में पारित आदेशों के मद्देनजर वर्ष में संशोधित किया गया था। **1999** की याचिका संख्या **11291**-मी।

(7) मैंने याचिकाकर्ता के लिए सीखा वकील सुना है, एग हरियाणा को सीखा है और रिकॉर्ड से गुजरा है।

(8) १ ९९ ३ के पैरा २ (बी) के अनुसार निर्देश सभी वयस्क जीवन के दोषियों को समय से पहले रिहाई के हकदार होंगे, जिनके मामले पैरा २ (ए) के तहत कवर नहीं किए गए हैं और जिन्होंने अपराध किया है, जिन्हें खण्ड में उल्लेखित नहीं माना जाता है। (ए)। अंडरट्रिल अवधि सहित वास्तविक वाक्य के **10** वर्षों के पूरा होने के बाद उनका मामला विचार किया जा सकता है, बशर्ते कि इस तरह के वाक्य की कुल अवधि पैरा **2** (सी) **1993** के निर्देशों के अनुसार **14** वर्ष से कम नहीं है, किशोर जीवन की उम्र से नीचे की उम्र अपराध और महिला जीवन के दोषियों के आयोग के समय **18** साल **8** साल की वास्तविक सजा के बाद समय से पहले रिलीज के लिए विचार किए जाने के हकदार हैं, जिसमें अंडरट्रियल अवधि भी शामिल है, बशर्ते कि इस तरह के वाक्य की कुल अवधि जिसमें रिमिशन शामिल हैं, **10** साल से कम नहीं है।

(९) १ ९९ ३ के निर्देशों के पेरा जेड (ए) के अनुसार, जिन लोगों की मौत की सजा को आजीवन कारावास और दोषियों के लिए दिया गया है, जिन्हें जीवन के लिए कैद कर लिया गया है। बलात्कार के साथ, दहेज, दुल्हन जलने, **14** साल से कम उम्र के बच्चे की हत्या, विकलांग या गर्भवती महिला की हत्या या अपहरण या अपहरण के बाद हत्या के संबंध में हत्या, पेशे पर हत्या के आधार पर, हत्या के आधार पर हत्या टुकड़ों में या जलने/ शरीर को सजा के फैसले से स्पष्ट, जेल में लगातार बुरा आचरण और जो कुछ निश्चित कारण से

सार्वजनिक सुरक्षा को खतरे में डाले बिना समय से पहले रिहा नहीं किया जा सकता या दोषियों के लिए खतरे के बिना समय से पहले जारी किया गया, जिन्हें धारा 120-बी आईपीसी या जीवन के दोषियों के तहत जीवन के लिए कैद किया गया है, जिन्हें एनडीपी के तहत या किसी भी अपराध के लिए दूसरी बार जीवन के लिए कैद किया गया है, वास्तविक के 14 साल के पूरा होने के बाद विचार किया जा सकता है अंडरट्रेल अवधि/निरोध सहित और कम से कम 6 साल की कमी के बाद सजा।

(१०) याचिकाकर्ता के लिए सीखा वकील ने कहा कि एक महिला की हत्या 1993 के निर्देशों में शामिल नहीं थी, जबकि "जघन्य अपराध" क्या है। बाद के निर्देशों में जघन्य अपराध को दर्शाते हुए एक महिला की हत्या का ऐसा समावेश भेदभावपूर्ण है। यह प्रस्तुत किया गया था कि एक पुरुष की हत्या से अलग एक महिला की हत्या को देखना भी भेदभावपूर्ण है। यह प्रस्तुत किया गया था कि ऐसे उदाहरण हो सकते हैं जहां एक आदमी की हत्या को "जघन्य" कहा जा सकता है जब यह क्रूर गणना और बर्बर होता है। यह प्रस्तुत किया गया था कि 4 फरवरी, 1993 के निर्देशों में 17 जुलाई, 1997 को संशोधित किया गया था, जबकि एक महिला की हत्या के निर्देशों के पैरा जेड (ए) में "जघन्य अपराध" को शामिल करते हुए शामिल किया गया था।

(११) जब समय से पहले रिलीज के लिए याचिकाकर्ता का मामला विचार के लिए परिपक्व हो गया, 1997 के निर्देश लागू हो गए थे। 1997 के अनुसार एक महिला की हत्या को एक महिला की हत्या की तुलना में अधिक गंभीरता के साथ देखा जाना चाहिए और एक महिला की हत्या के दोषी व्यक्ति और जीवन के लिए कारावास की सजा सुनाई गई ट्रायल अवधि/निरोध के तहत और कम से कम 6 साल की कमाई के बाद सजा। 17 जुलाई, 1997 को संशोधित के रूप में 1993 के निर्देशों के पैरा 2 (ए) में एक महिला की हत्या को शामिल करने में तर्क है। महिला को हमारे समाज में वंदना के साथ देखा जाता है। उसे हमारे समाज में "लक्ष्मी" के रूप में देखा जाता है। उसे एक कमजोर प्राणी के रूप में देखा जाता है जिसे हमेशा पुरुष सुरक्षा की आवश्यकता होती है। जब वह एक बच्चा होती है, तो उसे अपने पिता द्वारा संरक्षित किया जाना आवश्यक होता है, जब वह छोटी होती है, तो उसे अपने पति द्वारा संरक्षित होने की आवश्यकता होती है, जब वह बूढ़ी होती है, तो उसे अपने बेटों द्वारा संरक्षित किया जाना आवश्यक होता है।

(12) 17 जुलाई 1997 में संशोधन किये 1993 के निर्देशों में एक महिला की हत्या को शामिल करने के पीछे एक और तर्क है

कि 4 फरवरी, 1993 के बाद हरियाणा में महिलाओं की हत्या में वृद्धि हुई हो। इसलिए महिला की हत्या को जघन्य अपराध की श्रेणी में शामिल किया गया था।

(१३) इस पद का सामना करते हुए, याचिकाकर्ता के लिए वकील ने सीखा कि हत्या की हत्या है। हर हत्या जघन्य है क्योंकि यह मानव जीवन को सूँघता है। किसी भी शरीर को दूसरे की जान लेने का अधिकार नहीं है।

(१४) यह दोहराव होगा कि एक महिला की हत्या को १ ९९ ३ के निर्देशों के पैरा २ (ए) में शामिल किया गया था, जैसा कि १ जुलाई, १ ९९ (को हमारे समाज की सांस्कृतिक विरासत के मद्देनजर संशोधित किया गया था, जो कि होरी अतीत से हमारे द्वारा विरासत में मिला था।

(१५) मेरी राय में, ४ फरवरी, १ ९९ ३ के निर्देशों के अनुसार १, जुलाई, १ ९९ ३ को संशोधित किया गया, तीन जुलाई, १ ९९ of को निर्देश अनुलग्नक पी -४ काफी संवैधानिक हैं। ये तब तक किसी भी भेदभाव का परिचय नहीं देते हैं, जहां तक एक आदमी की हत्या एक महिला की हत्या का संबंध है क्योंकि एक महिला की हत्या को एक पुरुष की हत्या के लिए अलग-अलग तरह से देखा जाना चाहिए। मारू राम बनाम यूनियन ऑफ इंडिया (2) में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि "भले ही अर्जित किए गए रिमिशन कुल 20 साल तक हो, फिर भी राज्य सरकार कैदी को रिहा कर सकती है या नहीं और इस तरह के रिहाई के आदेश को छोड़ने तक जीवन की सजा का शेष हिस्सा पारित हो गया है, कैदी अपनी स्वतंत्रता का दावा नहीं कर सकता है। इसका कारण यह है कि जीवन की सजा जीवन की लंबी कारावास से कम नहीं है। इसके अलावा, दंड तब और अब एक ही जीवन अवधि है। और छूट का अधिकार नहीं है जब सजा आजीवन कारावास हो। न ही कैंपुलसरी 14 साल की जेल जीवन द्वारा रद्द किए गए किसी भी निहित अधिकार का अधिकार है, तो हमें इस बात का एहसास होता है कि जीवन का संवेदना एक पूरे जीवन के लिए एक सजा है।

(१६) ऊपर दिए गए कारणों के लिए, यह आपराधिक विविधता याचिका विफल हो जाती है और खारिज कर दी जाती है।

R.N.R.

(2) (1991) 1 SCC 10

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

पारिंदर सिंह

प्रशिक्षु न्यायिक पदाधिकारी

जींद, हरियाणा